Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

सीएस हर तीन साल में पर्यावरण संरक्षण की हकीकत बयां करती रिपोर्ट बनाए

आदेश

अगली सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर की गयी नियत

जल, जंगल जमीन के साथ साथ वायु की स्थिति और पूरे पर्यावरण का लेखा–जोखा हो

संवाददाता

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने देहरादून के समाज सेवी अजय नारायण शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को हर तीन वर्ष में उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण की जमीनी हकीकत बयां करती एक विस्तृत रिपोर्ट सर्वे ऑफ इंडिया से बनाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में जल, जंगल जमीन के साथ साथ वायु की स्थिति और पूरे पर्यावरण का लेखा–जोखा हो। न्यायालय ने यह भी कहा है की देहरादून, नैनीताल समेत सभी शहरों की ऐसी रिपोर्ट अलग से हर दो वर्ष में तैयार की जाएगी, ताकि अनियंत्रित शहरी

विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित किया जा सके।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में लगभग डेढ़ सौ मिनट चली सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी देहरादून आर. राजेश कुमार, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार संत, नगर आयुक्त देहरादून अभिषेक रुहेला और सचिव राजस्व पुरुषोत्तम व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। इस दौरान, जिला अधिकारी देहरादून को उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। पूछा है कि अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायतों की कितनी पत्रावली उनके दफ्तर में एक वर्ष में मिली है और उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की है। अगली सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर नियत की गयी है।

सुनवाई के दौरान, पर्यावरण संरक्षण और बेइंतहा हो रहे अतिक्रमण पर सरकार की ओर से जो कार्यवाही नहीं की जा रही है, उसके बारे में मुख्य न्यायधीश ने आला अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिजय नेगी ने न्यायालय को दून घाटी के पर्यावरण के दोहन की विस्तृत जानकारी दी।

न्यूज डायरी

एक युवती को प्रेम विवाह करना पड़ा महंगा, पुलिस को दी तहरीर

संवाददाता रुड़की। एक युवती को प्रेम विवाह करना इतना महंगा पड़ा कि उसका भाई अब उसे मायके में आने से रोक रहा है। पीड़ित ने अब पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती ने कुछ समय पहले एक युवक से प्रेम विवाह किया था। युवती का भाई उसके प्रेम विवाह के खिलाफ था। इसके बावजूद युवती ने उनकी मर्जी के बिना प्रेम विवाह कर लिया था। युवती पति के साथ देहरादून में रह रही थी। बुधवार को वह अपने मायके में मां से मिलने आई थी, लेकिन उसके भाई और भाभी ने उसे घर में घुसने से रोक दिया। युवती ने उनका विरोध भी किया लेकिन उन्होंने धमकी दे दी। इसे लेकर मौके पर हंगामा भी हुआ।

चाय सुट्टा बार की हॉट कुल्हड़ चाय अब नैनीताल शहर में उपलब्ध

संवाददाता नैनीताल। देश भर में कुल्हड़ चाय के स्वाद के लिए जाने जाने वाले ब्रांड चाय सुट्टा बार ने आज मनाली शहर में अपना आउटलेट शुरू करने की घोषणा की, जिसकी प्रतिष्ठा बैकपैकिंग स्पॉट के रूप में है। ट्रैकिंग और स्कीइंग के लिए मशहूर इस शहर में अब चाय सुट्टा बार के बिल्कुल नए आउटलेट में कुल्हड़ चाय का एक अतिरिक्त स्वाद मिलेगा। इस लॉन्च के साथ, ब्रांड के पास अब भारत के 100 शहरों में कुल 200६ फ्रैंचाइजी आउटलेट होंगे, साथ ही ओमान, दुबई जैसी विदेशी भूमि और यूएसए, यूके और कनाडा में आने वाले आउटलेट भी होंगे। रामबाग चौक, माल रोड स्क्वायर, मनाली, हिमाचल प्रदेश में एक अद्भुत गर्मजोशी से स्वागत के साथ कुल्हड़ को गले लगाने की हलचल उल्लेखनीय थी।

एचडीएफसी बैंक ने 5वां परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट किया लॉन्च

संवाददाता देहरादून। एचडीएफसी बैंक ने आज अपने स्मार्टअप ग्रांट्स के पांचवें संस्करण के लिए आवेदन शुरू किए। यह वार्षिक कार्यक्रम सामाजिक स्टार्ट–अप और इन्क्यूबेटरों को हैजटैग परिवर्तन, एचडीएफसी बैंक की छतरी के तहत अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए धन प्रदान करता है। इस साल बैंक ने स्मार्टअप अनुदान के लिए 15 करोड़ रुपये तक का आवंटन किया है। एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड सीएसआर, बिजनेस फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आशिमा भट ने कहा, स्मार्टअप अनुदान सामाजिक उद्यमियों का समर्थन और पोषण करने के लिए है। ”भारत को समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन व्यवसायों की आवश्यकता है।

भाजपा की रीति–नीति देख लगातार जुड़ रही युवा शक्ति

संवाददाता अल्मोड़ा। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नए मतदाताओं को पार्टी में जोड़ने का अभियान तेज कर दिया है। पार्टी की रीति–नीति देख युवा भी लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं।

बुधवार को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नव मतदाता अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 14 सांगठनिक जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभियान एक सप्ताह तक चलेगा। जिले के सभी 23 मंडलों और छह विधानसभाओं में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं।

पार्टी आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वह अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी में जोड़ा जाएगा। कार्यकर्ताओं का मुख्य फोकस नए मतदाताओं को जोड़ने प रहेगा। उनको पार्टी की रीति–नीति के बारे में बताया जा रहा है।

युवा लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे है। वह हर स्तर पर उनकी मदद भी कर रहे है। ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ उठा सकें। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा बहुमत से जीतकर फिर सरकार बनाएगी। प्रदेश में केवल भाजपा की लहर है। पहले दिन 21 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया।

सार्वजनिक छठ पूजन समिति ने त्रिवेणी घाट में सूर्य भगवान की मूर्ति की स्थापना की

संवाददाता ऋषिकेश। सार्वजनिक छठ पूजन समिति की ओर से त्रिवेणी घाट पर गौरी गणेश पूजन, कलश स्थापना व छठी माता एवं सूर्यनारायण भगवान की मूर्ति की स्थापना कर पूजा व आरती की गई। सार्वजनिक छठ पूजन समिति के अध्यक्ष रामकृपाल गौतम ने बताया कि छठ व्रत को करने वाले स्थानीय व बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए समिति द्वारा हेल्प डेस्क की व्यवस्था पंडाल के निकट जा रही है। सायंकाल मे पतित पावनी मां गंगा की आरती तत्पश्चात भगवान सूर्यनारायण और छठी मैया की आरती शाम पांच बजे भजन संध्या व सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि आठ बजे भोजपुरी लोकगीत बिरहा मुकाबला, इसमें मुख्य कलाकार छोटे लाल बनारसी (महुआ चौनल वाराणसी) सोनू सरगम (महुआ चौनल जौनपुर)के बीच होगा जो संपूर्ण रात्रि तक चलेगा।

विधायक भाटी हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद डीपी यादव रिहा हुए

संवाददाता नैनीताल। नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव को रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही सीबीआई अदालत का आदेश निरस्त कर दिया है। पूर्व सांसद समेत तीन अन्य को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में देहरादून की सीबीआई कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद महेंद्र भाटी के भतीजे संजय भाटी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व

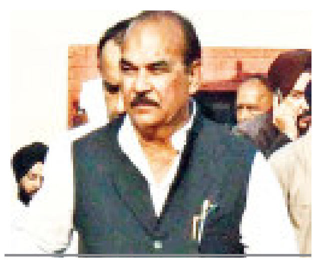

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पूर्व सांसद डीपी यादव की अपील फैसला सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी हैं। कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने पारित किए आदेश, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे स्वजन

दरअसल 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ चारों अभियुक्तों द्वारा विशेष अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

मनसा देवी में अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट ने मांगा जवाब

संवाददाता नैनीताल। हाई कोर्ट ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार, वन विभाग, नगर निगम हरिद्वार, सचिव निरंजनी अखाड़ा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी रमेश चन्द्र शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि मनसा देवी मंदिर को 1940 में अंग्रेजों ने जनता के लिए खोल दिया था। उसके बाद इस मंदिर में सरस्वती देवी नाम को महिला रहने लगी। इस महिला ने 82 वर्ष की उम्र में हरिद्वार के कुछ लोगो के हित मे वसीयत कर दी, जबकि वन विभाग ने इस महिला के हित मे कोई पट्टा नही किया था। कुछ समय बाद निरंजनी अखाड़ा के सचिव महेंद्र गिरी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर इसे ट्रस्ट घोषित कर दिया।